कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश भोपाल

(कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स)
वन भवन, भोपाल E-mail-pccfwl@mp.gov.in

क्रमांक/2025/WLC/ I/428020/2025 भोपाल, दिनांक 11-08-2025

ALERT NO.03/2025-26

विषय :- वन्यजीव शिकार हेतु अपनाई जा रही शिकारियों की नवीन एवं विषैली तकनीक के सम्बन्ध में सतर्कता एवं सघन निगरानी रखने के सम्बन्ध में।

--00--

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, म.प्र. को प्राप्त सूचना के अनुसार कान्हा टाइगर रिज़र्व के कोर क्षेत्र में शिकारियों द्वारा 07 चीतलो का शिकार एक अत्यंत शातिर तरीके का उपयोग कर किया गया, जो भविष्य में प्रदेश के अन्य संरक्षित क्षेत्रो के लिए भी गंभीर खतरा बन सकती है | इस शिकार करने के तरीके की गंभीरता इस बात में निहित है कि यह पारंपरिक हथियारों, बन्दूको या फंदों का प्रयोग किये बिना केवल रासायनिक विष एवं प्राकृतिक गंध के माध्यम से वन्यजीवो को मारने हेतु प्रयोग में लायी गई है, जो क़ानूनी साक्ष्य छोड़ने से बचने हेतु रची गयी अपराधिक योजना है | उक्त शिकार का शातिर तरीका न केवल आसनी से अंजाम दिया जा सकने वाला है, अपितु विवेचना अधिकारी को पता करने में भी कठिनाइ हो सकती है। जिस पर प्रभावी नियंत्रण,एवं अंकुश लगाने हेतु विशेष सतर्कता एवं निगरानी की आवश्यकता है । इसमे शिकारियों द्वारा वन्यजीवों के आवागमन मार्गो को चिन्हित किया जाता है, चिन्हित मार्गो में छोटे छोटे गड्ढे बनाकर उनमे नमक एवं जहर (संभावित कीटनाशक/रसायन) का मिश्रण डाला जाता है इन गड्ढो में मानव मूत्र का छिडकाव/ मूत्र त्याग किया जाता है, जिससे गंध के प्रति संवेदनशील वन्यजीव उस ओर आकर्षित होते है,तथा उसका सेवन कर उनकी मृत्यु हो जाती है,फिर वहां पहले से घात लगाए बैठे शिकारी उन मृत वन्यजीव के शव को अपने कब्जे मे लेकर अपना मकसद आराम से पूरा कर लेते है। एसी घटनाओ पर नियंत्रण हेतु अपने-अपने कार्यक्षेत्र में निम्न प्रक्रिया अपनायी जाये:-

1. वन्यजीव विचरण वाले वन क्षेत्रों मे संभावित अवैध प्रवेश मार्ग बंद करे, ग्रामीण पगडंडियों, नदी किनारे, समवर्ती ग्रामो की सतत जाँच करे, शिकारियों के प्रवेश मार्गो को चिन्हित करे।
2. वन्यजीवो के आवागमन मार्ग चिन्हित कर उन पर ट्रैप कैमरा अन्य तकनीक का उपयोग कर निगरानी की जाये, ऐसे स्थानों पर फील्ड स्टाफ द्वारा पैदल गस्त बढाई जाए।
3. श्वान दल की सहायता से गश्त कराइ जाये साथ ही श्वान की सुरक्षा का ध्यान रखा जावे।
4. क्षेत्रीय कृषि विक्रेताओ/दुकानदार से जानकारी ले की हाल के दिनों में किसी बाहरी व्यक्ति ने संदिग्ध मात्रा में कीटनाशक, नमक, केमिकल आदि की खरीद की हो, रासायनिक नमूनों के परिक्षण हेतु नमुने एकत्र कर प्रयोगशाला भेजे जाए।
5. सम्बंधित ग्रामो एवं सीमावर्ती क्षेत्रो में आदतन अपराधी, संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी (नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, वाहन क्रमांक, पूर्व अपराधिक विवरण) संधारित करे, विभागीय वेब पोर्टल (FOMS एवं ODBMS) मे उक्त जानकारी अघतन करे एवं कोई संगठित गिरोह या आदतन शिकारी समुदाय की संलिप्तता होने की पुष्टि होने पर तत्काल स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, के अधिकारियों (मोबाईल 9424797059, 9424797031) पर मेसेजिंग एप/WhatsApp करे, जिससे डाटाबेस से मिलान किया जाना सुनिश्चित हो सकें।

Digitally signed by Subharanjan Sen
Date: 11-08-2025 13:53:26

(शुभरंजन सेन)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं
मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, म.प्र

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र. की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. विशेष पुलिस महानिदेशक, एसटीएफ एवं अध्यक्ष स्टेट टाइगर सेल, म.प्र. भोपाल सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक (क्षेत्रीय) वन वृत्त,
4. समस्त क्षेत्र संचालक, टाइगर रिजर्व
5. समस्त वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय/वन्यजीव)
6. समस्त संभागीय प्रबंधक, राज्य वन विकास निगम इकाई
7. समस्त प्रभारी अधिकारी स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स क्षेत्रीय इकाई

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।